

लम्बित जल राजस्व एवं अवैध संयोजनों की पैनाल्टी एवं कुल ब्याज पर भारी छूट का सुनहरा पुनः लाभ उठाने का अन्तिम अवसर
प्रेस विज्ञप्ति (जल / सीवर)

1. दिनांक 31.12.2022 तक देय जल प्रभार राशि को दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.01.2023 तक जमा करवाने पर कुल देय ब्याज राशि पर 40% की छूट, दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक जमा करवाने पर कुल देय ब्याज राशि पर 30% की छूट तथा दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 31.03.2023 तक जमा करवाने पर कुल देय ब्याज राशि पर 20% की छूट अनुमन्य होगी ।
2. समस्त प्रकार के अनाधिकृत संयोजनों के प्रकरणों में कम से कम 5 वर्ष दिनांक 01.12.2017 से स्थायी जल प्रभार अथवा स्थायी पंजीकरण की तिथि/ईकाई कार्यशील घोषित तिथि अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि (इन तीनों प्रकरणों में जो भी पहले जारी हुआ हो), अनुमन्य ब्याज सहित देयराशि एवं अनाधिकृत संयोजन पर लगने वाली पैनाल्टी पर सामान्य प्रकरणों में 40% की छूट व EWS/LIG/Shramik Kunj/ ग्रामीण संयोजन के प्रकरण में 50% की छूट ।
3. जिन आबंटियों ने जल/सीवर के संयोजन अभी तक नहीं लिये हैं उन्हें कब्जा प्रमाण पत्र की तिथि से संयोजन की तिथि तक प्रतिवर्ष अनुरक्षण शुल्क (R.M. Charges) जमा करना होगा ।
4. समस्त अतिदेय एवं अनाधिकृत संयोजनों वाले आबंटियों से अनुरोध किया जाता है कि इस अन्तिम सुनहरे अवसर का लाभ उठायेँ अन्यथा प्राधिकरण द्वारा देयराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी ।
5. दिनांक 31.03.2023 के उपरान्त यह योजना स्वतः ही समाप्त हो जायेगी एवं दिनांक 01.04.2023 से वर्तमान जल प्रभार/संयोजन की अनुमन्य दरों पर ही वसूली की जायेगी ।
6. देयराशि का भुगतान ICICI/HDFC/KOTAK MAHINDRA/INDUSLAND BANK/INDIAN BANK/IDBI BANK/AXIS BANK/CANARA BANK बैंकों की नौएडा स्थित किसी भी शाखा में सीधे अथवा आन लाइन "Noidaauthorityonline.in" के माध्यम से भी कर सकते हैं, तथा पूर्व में जमा की गई धनराशि भी उक्त वेबसाईट से अपना कन्ज्यूमर संख्या अथवा भवन/मकान संख्या द्वारा भी देखे जा सकते हैं । यदि भुगतान ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर द्वारा किया जाता है तो नियत तिथि तक प्राधिकरण के खाते में धनराशि क्रेडिट होने पर ही छूट मान्य होगी ।
7. उपरोक्त योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने-2 क्षेत्र के जल राजस्व कार्यालय सेक्टर-5, 37 व 39 नौएडा से सम्पर्क कर छूट का चालान प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट: - देयराशि देयतिथि तक जमा नहीं कराने के उपरान्त जल/सीवर के संयोजन बिना किसी पूर्व सूचना के विच्छेदन कर धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

हस्ताक्षरित

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम)
नौएडा

जल ही जीवन है, जल का सदुपयोग करें।

नौएडा के विकास के लिए स्वतः जल प्रभार जमा कर अपना योगदान करें।

लम्बित जल राजस्व एवं अवैध संयोजनों की पैनाल्टी एवं कुल ब्याज पर भारी छूट का सुनहरा पुनः लाभ उठाने का अन्तिम अवसर प्रेस विज्ञप्ति (जल / सीवर)

1. दिनांक 31.12.2022 तक देय जल प्रभार राशि को दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.01.2023 तक जमा करवाने पर कुल देय ब्याज राशि पर 40% की छूट, दिनांक 01.02.2023 से दिनांक 28.02.2023 तक जमा करवाने पर कुल देय ब्याज राशि पर 30% की छूट तथा दिनांक 01.03.2023 से दिनांक 31.03.2023 तक जमा करवाने पर कुल देय ब्याज राशि पर 20% की छूट अनुमन्य होगी ।
2. समस्त प्रकार के अनाधिकृत संयोजनों के प्रकरणों में कम से कम 5 वर्ष दिनांक 01.12.2017 से स्थायी जल प्रभार अथवा स्थायी पंजीकरण की तिथि/ईकाई कार्यशील घोषित तिथि अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र की तिथि (इन तीनों प्रकरणों में जो भी पहले जारी हुआ हो), अनुमन्य ब्याज सहित देयराशि एवं अनाधिकृत संयोजन पर लगने वाली पैनाल्टी पर सामान्य प्रकरणों में 40% की छूट व EWS/LIG/Shramik Kunj/ ग्रामीण संयोजन के प्रकरण में 50% की छूट ।
3. जिन आबंटियों ने जल/सीवर के संयोजन अभी तक नहीं लिये हैं उन्हें कब्जा प्रमाण पत्र की तिथि से संयोजन की तिथि तक प्रतिवर्ष अनुरक्षण शुल्क (R.M. Charges) जमा करना होगा ।
4. समस्त अतिदेय एवं अनाधिकृत संयोजनों वाले आबंटियों से अनुरोध किया जाता है कि इस अन्तिम सुनहरे अवसर का लाभ उठाये अन्यथा प्राधिकरण द्वारा देयराशि की वसूली हेतु कार्यवाही की जायेगी ।
5. दिनांक 31.03.2023 के उपरान्त यह योजना स्वतः ही समाप्त हो जायेगी एवं दिनांक 01.04.2023 से वर्तमान जल प्रभार/संयोजन की अनुमन्य दरों पर ही वसूली की जायेगी ।
6. देयराशि का भुगतान ICICI/HDFC/KOTAK MAHINDRA/INDUSLAND BANK/INDIAN BANK/IDBI BANK/AXIS BANK/CANARA BANK बैंकों की नौएडा स्थित किसी भी शाखा में सीधे अथवा आन लाइन "Noidaauthorityonline.in" के माध्यम से भी कर सकते हैं, तथा पूर्व में जमा की गई धनराशि भी उक्त वेबसाइट से अपना कन्ज्यूमर संख्या अथवा भवन/मकान संख्या द्वारा भी देखे जा सकते हैं । यदि भुगतान ड्राफ्ट अथवा पे आर्डर द्वारा किया जाता है तो नियत तिथि तक प्राधिकरण के खाते में धनराशि क्रेडिट होने पर ही छूट मान्य होगी ।
7. उपरोक्त योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता अपने-2 क्षेत्र के जल राजस्व कार्यालय सेक्टर-5, 37 व 39 नौएडा से सम्पर्क कर छूट का चालान प्राप्त कर सकते हैं ।

नोट: - देयराशि देयतिथि तक जमा नहीं कराने के उपरान्त जल/सीवर के संयोजन बिना किसी पूर्व सूचना के विच्छेदन कर धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी ।

हस्ताक्षरित

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम)
नौएडा

जल ही जीवन है, जल का सदुपयोग करें।

नौएडा के विकास के लिए स्वतः जल प्रभार जमा कर अपना योगदान करें।

स्वच्छ, हरित, सकुशल, सुरक्षित नौएडा